

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन) में (सामान्य घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल रु0-2,64,000=00 (दो लाख चौसठ हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/ सा0सु0 बजट- रा0 वृद्धावस्था-10/2013-स0क0-44 पटना, दिनांक-01/07/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1003 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में सामान्य घटक के पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु द्वितीय किस्त संलग्न विवरणी स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु0 2,64,000=00 (दो लाख चौसठ हजार) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप-शीर्ष-0101-वृद्धावस्था पेंशन विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-P-2235601020101 तथा स्कीम कोड-WEL-5502 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

31/4/13. 322-2 फे. 24.7.13

20/7/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-


निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20/7/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वैत्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतनदि के अलावा 31.06 मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय किस्त का उपावंटन:-

क्र० सं०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	7200	7200	14400
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	30000	20000	50000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	1800	1800	3600
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैलाढ़	16000	10000	26000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	6000	6000	12000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	0	0	0
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	50000	34000	84000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	115000	101000	216000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्यालपाड़ा	0	0	0
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	3000	3000	6000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	19000	15000	34000
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	17000	13000	30000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैजी	51000	46000	97000
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	0	0
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	14000	7000	21000
	कुल योग :-	330000	264000	594000

अ० (दो लाख चौसठ हजार) ५० मात्र।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।